



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

415902



श्री शम्भुशंकर



विक्रम विलेख



श्री किशन

प्रतिफल की धनराशि - ₹ 5,64,345/-  
 बाजार मूल्य - ₹ 2,26,350/-  
 अदा किये गये जनरल स्टैम्प- ₹ 56,500/-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - दिजनौर
3. ग्राम - निजामपुर मझिगवां
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 16 रकबा

श्री किशन

श्री शम्भुशंकर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

415903

-2-



1.071 हे० का 1/6 भाग अर्थात्  
रकबा 0.1785 हे० स्थित ग्राम-  
निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर,  
तहसील व जिला लखनऊ।

- |     |                       |   |   |
|-----|-----------------------|---|---|
| 5.  | मापन की ईकाई          | - | हेक्टेअर  |
| 6.  | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | - | 0.1785 हेक्टेअर   |
| 7.  | सड़क की स्थिति        | - | सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से<br>लगभग 200 मीटर से अधिक |
| 8.  | सम्पत्ति का प्रकार    | - | कृषि  |
| 9.  | पेड़ों की स्थिति      | - | नहीं  |
| 10. | बोरिंग/ कुआं अन्य     | - | एक ट्यूबवेल है।   |

कि. रामनाथ



कि. किशन



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 456959

- 3 -

चौहद्दी खसरा नं0 16

उत्तर : ग्राम सीमा अन्य  
दक्षिण : खसरा नं0-17  
पूरब : खसरा नं0-19  
पश्चिम : खसरा नं0-15

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

|  |   |
|--|---|
| विक्रेता का विवरण  | : क्रेता का विवरण   |
| रामनाथ पुत्र ढोडे निवासी<br>हसनपुर ब्रेवली परगना<br>बिजनौर, तहसील व जिला | : किशन पुत्र सुघई निवासी ग्राम<br>मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगाँव,<br>तहसील व जिला फतेहपुर। |

रामनाथ



किशन



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 4 -

|               |               |
|---------------|---------------|
| लखनऊ।         |               |
| व्यवसाय- कृषि | व्यवसाय- कृषि |

यह विक्रय विलेख रामनाथ पुत्र ढोढे निवासी हसनपुर खवली परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवम् किशन पुत्र सुघई निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो० नौगाँव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

नि० रामनाथ

किशन



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 378036

- 5 -



यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 16 रकबा 1.071 हे० का 1/6 भाग अर्थात् रकबा 0.1785 हे० स्थित ग्राम- निजामपुर मझिगवां, परगना विजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षट्वार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00145 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय

शिव बाष्ट

Shiv Baast



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 488130

- 6 -

में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद

10. राम मोक्ष

दि 21



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 488131

- 7 -

का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य (पाँच लाख, नौ सौ रु. केवल) 5,64,345/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका

1- राम नाथ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 488132

- 8 -

विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूरी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके

श्री शम्भूनाथ



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE  
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 488133

- 9 -

वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें।

F.O. शम्भू नाथ



Shambhu Nath



उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा ।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी ।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम निजामपुर मझिगवां अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू० 11,00,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.1785 हेक्टेअर की कुल मालियत 1,96,350/- होती है चूंकि उक्त भूमि में एक ट्यूबवेल स्थित है जिसकी कीमत रू० 30,000/- है इसलिये भूमि की कुल मालियत मय ट्यूबवेल सहित रू० 2,26,350/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू० 56,500/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है । यह कि भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग,

१०. रवि शर्मा




564,345.00/ 226,350.00

विक्रय पत्र

5,000.00 40 5,040.00 2,000  
फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

प्रतिफल मालिक  
श्री/श्रीमती राम नाथ  
पुत्र/पत्नी श्री दोडे  
पेशा कृषि  
निवासी स्थायी हसनपुर खेवली लखनऊ  
अस्थायी पता  
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 28/3/2007 समय 5:56PM  
वजे निबन्धन हेतु पेश किया।



के.के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)  
लखनऊ  
28/3/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु पलेखानुसार उक्त

विक्रेता  
श्री/श्रीमती राम नाथ  
पुत्र/पत्नी श्री दोडे  
पेशा कृषि  
निवासी हसनपुर खेवली लखनऊ



क्रेता  
श्री/श्रीमती किशन  
पुत्र/पत्नी श्री सुघई  
पेशा अध्ययन  
निवासी मिर्जापुर भिटारी नौगाँव फतेहपुर



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री सुनील सिन्हा

पुत्र श्री जी सी सिन्हा

पेशा व्यापार

निवासी आर्य नगर लखनऊ

व श्री राजेन्द्र कुमार

पुत्र श्री परमेश्वर दीन

पेशा व्यापार

निवासी हसनपुर खेवली लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



के.के. शुक्ला  
उप निबन्धक (प्रथम)  
लखनऊ  
28/3/2007

राजमार्ग व तानपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाना यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता को ₹0 5,64,345/- द्वारा चेक संख्या- 565129 दिनांकित 28.03.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।


इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य पांच लाख चौरसठ हजार तीन सौ पैतालिस मात्र 5,64,345/- (रूपया पांच लाख चौसठ हजार तीन सौ पैतालिस मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।  
 मोटा - पांच लाख चौरसठ हजार तीन सौ पैतालिस मात्र के हिसाब से प्राप्त हुआ है।  
 लखनऊ: 10/3/2007

लखनऊ:

दिनांक : 28.03.2007

गवाह :-क्रेता की पहचान की


1. Sunil Kumar Singh  
 570 Singh & Co. Sahar  
 288 Ashok Nagar  
 Lakhnau

विक्रेता  
  
  
 क्रेता

2. विक्रेता की पहचान की

राजेंद्र कुमार सिंह परबोक्षर देव  
 आर.पी. एस. नं. 57, डोल्पा

टाईपकर्ता  
  
 (मोनु कुमार)  
 सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता  
  
 (विवेक कुमार सिंह)  
 एडवोकेट



ग्राम निरन्तर ३२ मस्जिदों परागना विभाग तहसील व

मि.सं - ८९

श्व सहाई - १६

रकबा



विशेष

२१






रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा - 32 (3) के अनुपालन हेतु,  
फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :-

राम मधु 130 - एन ए के ए  
के ए

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




विक्रेता/क्रेता नाम व पता :-


प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विशाल 130 - एन ए के ए  
के ए

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




विशाल

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर



आज दिनांक 28/03/2007 को  
वही सं 1 जिल्द सं 8215  
पृष्ठ सं. 365 से 390 पर क्रमांक 2991  
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

  
क.क. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

28/3/2007